



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आरईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 38/4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29,
गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2610

दिनांक: 7 नवंबर, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्टीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप्ट कोड-RECLTD	स्क्रिप्ट कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: सहायक कंपनियों के निगमन की सूचना।

महोदय /महोदया

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित दो सहायक कंपनियों को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है:

- 1) डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GO1457685)
- 2) डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GO1457684)

उक्त कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां भी हैं। अन्य अपेक्षित विवरण अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद ,

भवदीय,
Jyoti
Shubhra
Amitabh

३१/११

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय: बैंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय: वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र: आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का निगमन

क्रम सं	विवरण	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1.	<p>लक्ष्य इकाई का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे आकार, कारोबार आदि।</p> <p>विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को डब्ल्यूआर-ईआर अंतर-क्षेत्रीय नेटवर्क विस्तार योजना- भाग की स्थापना के लिए बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त के मद्देनजर, डब्ल्यूआर ईआर भाग ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 6 नवंबर, 2025 को शामिल किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, उक्त कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।</p>	<p>नाम: डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूँजी: ₹5,00,000/- चुकता पूँजी: ₹5,00,000/- कारोबार: लागू नहीं (यह एक नवगठित कंपनी है और अभी तक इसका व्यवसाय शुरू नहीं हुआ है)।</p> <p>विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को डब्ल्यूआर-ईआर अंतर-क्षेत्रीय नेटवर्क विस्तार योजना- भाग की स्थापना के लिए बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त के मद्देनजर, डब्ल्यूआर ईआर भाग ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 6 नवंबर, 2025 को शामिल किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, उक्त कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।</p>	

2.	<p>क्या अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहीत की जा रही इकाई में कोई हित है?</p> <p>यदि हाँ, तो हित की प्रकृति और उसका विवरण क्या है और क्या यह "आस्तीन की लंबाई" पर किया गया है?</p>	<p>डब्ल्यूआर ईआर भाग ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी है।</p> <p>प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का डब्ल्यूआर ईआर भाग ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई हित नहीं है।</p>	<p>डब्ल्यूआर ईआर भाग क पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी है।</p> <p>प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का डब्ल्यूआर ईआर भाग क पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई हित नहीं है।</p>
3.	वह उद्योग जिससे अधिग्रहीत की जा रही इकाई संबंधित है	विद्युत क्षेत्र.	विद्युत क्षेत्र.
4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (लक्ष्य इकाई के अधिग्रहण के कारणों का खुलासा, यदि उसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र से बाहर है, सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं)	कंपनी को डब्ल्यूआर-ईआर अंतर-क्षेत्रीय नेटवर्क विस्तार योजना- भाग ग के लिए निगमित किया गया है।	कंपनी को डब्ल्यूआर-ईआर अंतर-क्षेत्रीय नेटवर्क विस्तार योजना- भाग क के लिए निगमित किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 18 सितंबर, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 18 सितंबर, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण के पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि	लागू नहीं.	लागू नहीं.
7.	प्रतिफल की प्रकृति - क्या नकद प्रतिफल या शेयर स्वैप और उसका विवरण	इकिटी शेयर पूँजी के लिए 100% नकद अभिदान।	इकिटी शेयर पूँजी के लिए 100% नकद अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किए जाते हैं	अंकित मूल्य पर इकिटी शेयर के लिए 100% अभिदान।	अंकित मूल्य पर इकिटी शेयर के लिए 100% अभिदान।
9.	अर्जित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अर्जित शेयरों की संख्या	100%	100%
10.	अधिग्रहीत उत्पादों/व्यवसाय की दिशा के संदर्भ में अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि, निगमन की तिथि, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, वह देश	आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राजीय और	आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राजीय और

	<p>जिसमें अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)</p>	<p>अंतर-राज्यीय टांसमिशन परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से टांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।</p>	<p>अंतर-राज्यीय टांसमिशन परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से टांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।</p>
--	--	---	---
